अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

ग्राम मुगालिया कोट, सूखी सेवनिया विदिशा रोड, भोपाल(म.प्र.)-462038

दूरभाष क्रमांक-0755-2491052

क्रमांक एफ-1(105)/2024/स्थापना/ 1882 भोपाल, दिनांक 10/07/2024

:: विज्ञापन ::

//विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति//

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 03/05/2024 एवं म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 07/06/2024 के परिपालन में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित रिक्त पदों की पूर्ति वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से किया जाना है। निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन विहित प्रारूप में दिनांक 24 जुलाई 2024 तक कार्यालयीन समय सायंकाल 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	बहरे और कम सुनने वाले	निर्धारित योग्यता
1.	सहायक ग्रेड-3 सह कम्प्यूटर ऑपरेटर वेतनमान-रू.5200-20200 (श्रेणी-अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कर्मजोर वर्ग)	01	01	हायर सेकेण्डरी (10+2) एव मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) का वैध प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड) होना अनिवार्य है।

2. तृतीय श्रेणी के पदों हेतु वॉक-इन-इन्टरव्यू (साक्षात्कार) के लिये दिनांक 29/07/2024 समय प्रातः 10:30 से बजे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ग्राम मुगलिया कोट, सूखी सेवनिया, विदिशा रोड, भोपाल के कुलसचिव सभागार कक्ष में निर्धारित है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् उपस्थित उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने पर विचार नहीं जावेगा।

<u>विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार</u> है :-

1. निःशक्तजनों की परिभाषा शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
2. वॉक-इन-इन्टरव्यू में साक्षात्कार के लिए पृथक से अंक नहीं दिये जायेंगे। रिक्त पद के लिए नियमों में उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जावेगा। .
3. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4. संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर, 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

Scanned with CamScanner

6. आवेदक का मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यलय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-8-3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनाक 17 जुलाई, 2014 के अनुसार निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा। जाँच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पायी जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
8. पूर्व से सेवारत / विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
9. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीट्ल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो. इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
12. जिस आवेदक के दो से अधिक संतान हैं व उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तो, तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
13. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ स्वः प्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।
15. आवेदक द्वारा समस्त प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों के 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन छाया चित्र (फोटो) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
17. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनाक 03/07/2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यागजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) द्वारा की जावेगी।
18. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
19. यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
20. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये हों वे भी निरस्त कर दिए जायेंगे। ऐसी वास्तविक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएगे।
21. यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

22. आवेदन पत्र का प्रारूप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की वेबसाइट abvhv.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

23. विज्ञापित पद हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों में से जिस श्रेणी के आवेदक में से उपयुक्त पाये जाने पर उसी श्रेणी के आवेदक को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(शैलेन्द्र कुमार जैन)
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

पृ0 कमांक एफ-1(105)/2024/स्थापना/१४८३ भोपाल, दिनांक 10/02/2024

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, निःशक्तजन, भोपाल (म.प्र.)।
5. वित्त नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. वेबसाइट प्रभारी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
7. निज सहायक के माध्यम से माननीय कुलपतिजी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. आदेश पुस्तिका स्थापना।

की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. विजय कुमार मिश्रा)
प्रभारी स्थापना
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

:: दिव्यांगजन के लिए आवेदन पत्र प्रारूप::

पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करें

प्रति,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.) 462038

1. आवेदित पद का नाम ....
2. आवेदक का पूरा नाम ....
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित ....
4. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र सलग्न करें ....
   (जन्मतिथि सत्यापन हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट की सत्यापित प्रति सलग्न करें)
5. आधार कार्ड नम्बर ....
6. पेन कार्ड नम्बर ....
7. वर्तमान निवास का पता एवं पिनकोड ....
8. स्थाई निवास का पूर्ण पता एवं मोबाईल नं. ....
9. जाति एवं उपजाति ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. निःशक्तता का प्रकार ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित् प्रति सलग्न करें)
11. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक ....
12. रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान ....
13. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख ....
14. जीवित बच्चों का विवरण -

क्र	नाम	लिंग	जन्मतिथि

15. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड का नाम विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	पूर्णांक/प्राप्तांक	श्रेणी

Scanned with CamScanner

16. निर्धारित योग्यता - हायर सेकेण्डरी (10+2) एवं कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्यपदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) का वैध प्रमाण-पत्र ....

17. अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता ....

18. अनुभव (लिपिकीय कार्य/कार्यालय सहायक) ....
(प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां एवं अतिरिक्त जानकारी/अनुभव पृथक से संलग्न करें)

19. क्या आवेदक को किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है? हाँ / नहीं, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण अंकित करते हुये न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करें ....

20. क्या आवेदक को महिलाओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो पूर्ण विवरण अंकित करते हुए न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न करें ....

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों की सूचीः-

1.	6. ....
2.	7. ....
3.	8. ....
4.	9. ....
5.	10. ....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :-
स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर..............................
एवं पूरा नाम...

Scanned with CamScanner